Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **एसीबी जयपुर ग्रामीण की बड़ी कार्यवाही, ग्राम पंचायत प्रशासक 1 लाख रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार।**

जयपुर, 05 फरवरी 2026, गुरूवार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जयपुर ग्रामीण ने आज ट्रैप कार्यवाही करते हुए **ग्राम पंचायत बाजवास, पंचायत समिति परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन के प्रशासक (सरपंच) राजेन्द्र प्रसाद मोयल** को 1,00,000/– **रूपये** की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि एसीबी मुख्यलाय को एक शिकायत इस आशय की प्राप्त हुई थी की परिवादी को ग्राम पंचायत बाजवास में वर्ष 2024–25 के दौरान सामग्री सप्लाई का टेण्डर प्राप्त हुआ था, जिसकी अवधि दिनांक 31.03.2025 को समाप्त हो गई थी। सामग्री सप्लाई का भुगतान प्राप्त हो चुका था, परंतु उसकी धरोहर राशि 2,00,000/– रूपये ग्राम पंचायत बाजवास में जमा थी, जिसे लौटाने हेतु वह लगातार आरोपी सरपंच राजेन्द्र प्रसाद मोयल को प्रार्थना पत्र एवं रिमाइंडर देता रहा, किंतु राशि वापस नहीं की गई। परिवादी द्वारा राज सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने के पश्चात दिनांक 27.01.2026 को उसे उसके कार्य की राशि प्राप्त हुई, इसके बावजूद भी आरोपी सरपंच द्वारा कमीशन के रूप में 1,00,000/–रूपये की अवैध रिश्वत की मांग की जा रही थी।

परिवादी की शिकायत का विधिवत सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांग की पुष्टि होने पर आज दिनांक 05.02.2026 को सांचौर चौराहा, थाना परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन पर ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया गया।

एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस चतुर्थ श्री अनिल कयाल** के सुपरविजन में एसीबी की जयपुर ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुनील सियाग** के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए आज आरोपी को 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी के **महानिरीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जायेगा।